https://universitynews.in/

GD-927

LL.B. 6th Semester
Examination, May-June 2023

Paper - III

Law of Taxation

Time : Three Hours] [*Maximum Marks* : 100

नोट : किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

Note : Answer any five questions. All questions carry equal marks.

1. निम्नलिखित में से किन्हीं तीन पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :
   (*a*) करदाता
   (*b*) आय
   (*c*) गतवर्ष
   (*d*) आकस्मिक आय

Write short notes on any three of the following :
   (*a*) Assessee
   (*b*) Income
   (*c*) Previous Year
   (*d*) Causal Income

2. कर क्या है? कर के प्रकृति एवं विशेषताओं को वर्णित कीजिए। कर एवं शुल्क में अन्तर बताइए।

   What is Tax? Explain the nature and characteristics of tax. Distinguish between tax and fee.

3. करदाता के आवासीय स्थिति क्या है? इसका कर दायित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है?

   What is residential status of assesses? What is its impact on tax liability?

4. 'कर-निर्धारण' शब्द की परिभाषा लिखिए। आयकर अधिनियम के कर-निर्धारण के लिए निहित की गई प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

   Define the term 'assessment'. Describe briefly the procedure for assessment laid down in the Income Tax Act.

https://universitynews.in/

https://universitynews.in/

5. आयकर के प्रयोजन के लिए पूँजी-लाभों की गणना किस प्रकार से की जाती है?

   How are the capital gains computed for Income Tax purpose?

6. आयकर प्राधिकारी के नियुक्ति, क्षेत्राधिकार, शक्ति एवं नियंत्रण को समझाइए।

   Explain the appointment, jurisdiction, powers and control of Income Tax authorities.

7. 'अन्य संसाधनों से आय' शीर्षक के अन्तर्गत आय की गणना कैसे की जाती है?

   How income can be computed under the head 'income from other sources'?

8. अर्थदंड के संबंध में आयकर अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों का वर्णन कीजिए।

   Discuss the main provisions of Income Tax Act regarding penalties.

https://universitynews.in/

9. केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत कर वापसी, मूल्यांकन, भुगतान और वसूली से संबंधित विधि को समझाइए।

   Explain the law related to returns, assessment, payment and recovery of tax in the Central Goods and Services Tax Act, 2017.

10. कमिश्नर ऑफ इन्कम टैक्स बनाम अनवर अली (ए० आई० आर० 1970 सु० को० 1982) वाद के तथ्य तथा उसमें प्रतिपादित विधि सिद्धान्तों का वर्णन कीजिए।

    Discuss the facts and principles of law laid down in the case of Commissioner of Income Tax vs Anwar Ali (AIR 1970 SC 1982).

https://universitynews.in/